



2026:AHC:20844

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 1280 सन् 2026

हरनामयाचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यउत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता : रामेंद्र कुमार शुक्ला

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री रामेंद्र कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह जुलाई, 2010 से जिला शाहजहांपुर के वन एवं वन जीव प्रभाग के प्रभारी वन अधिकारी, जलाहाबाद रेंज में चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और याचिकाकर्ता का दावा है कि वह वरिष्ठ अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप बिना किसी रुकावट के निरंतर कार्य कर रहा है, यद्यपि, याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया है और न ही उसे न्यूनतम वेतनमान का अधिकारी बनाया गया है और इस संबंध में उसने 11.09.2025 को जिला शाहजहांपुर के वन एवं वन जीव प्रभाग के प्रभारी वन अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।
4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि जो भी प्रश्न उठेगा वह यह होगा कि क्या याचिकाकर्ता पहले से कार्यरत है और क्या वह पात्रता का अधिकारी है। इन प्रश्नों की जांच सर्वप्रथम चौथे उत्तरदाता, प्रबंधकीय वनाधिकारी, वन एवं वन जीव प्रभाग, जिला शाहजहांपुर द्वारा की जानी है, अतः, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन 06.02.2026 तक चौथे उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करे। उक्त प्रस्ताव पर, तीसरे उत्तरदाता याचिकाकर्ता की पात्रता और दावे की जांच करेंगे और दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करेंगे और, यदि याचिकाकर्ता रिट याचिका संख्या **12358** सन् **2019** (राम नरेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), रिट याचिका संख्या **18119** सन् **2019** (राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या **18693** सन् **2020** (मोहम्मद साहीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या **2844** सन् **2023** (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के निर्णयों के आलोक में उक्त लाभों के अधिकारी हैं तो उक्त लाभ याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार शीघ्रता से प्रदान किए जाएं।

7. आज दायर किए गए निर्देश परिशिष्ट ए के रूप में अभिलेख में अभिलिखित किए जाते हैं।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"